



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56519-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 250/2026

कमल गौरव साहू.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: आदित्य कुमार कश्यप, मनीष कुमार पांडे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ,

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय,

1. रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेश दिनांक 08.02.2026 को संलग्न करते हुए आज दाखिल किया गया पूरक शपथ पत्र रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार पांडे, राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
3. वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है:-
 - I. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को निर्देश दिया जाए कि वे याची/बंदी, जिसका नाम कमल गौरव साहू पुत्र श्री राम विनास साहू निवासी E-69 आदर्श नगर, लाल कॉलोनी, बर्सा-1, थाना-बर्सा, जिला-कानपुर नगर है, को उनकी अवैध हिरासत से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और उसे मुक्त करें; साथ ही 'मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य' के मामले में माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने के कारण, मुकदमा अपराध संख्या 270/2025, धारा 318(4), 338, 336(3) और 340(2) बी.एन.एस. , थाना-कल्याणपुर, जिला-कमिश्नरेट कानपुर नगर के अनुसरण में याची की गिरफ्तारी, निरोध और रिमांड को अवैध एवं शून्य घोषित किया जाए।

II. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-II, कानपुर नगर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 270/2025 के अनुसरण में पारित रिमांड आदेश दिनांक 08.02.2026 और उसके बाद के रिमांड आदेशों को रद्द किया जाए।

III. कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और सही समझे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



IV. याची के पक्ष में लागत सहित रिट याचिका स्वीकार की जाए।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 08.02.2026 को याची को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 याची को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में प्रस्तुत करने की अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता का पालन करने में विफल रहे, जो स्वयं गिरफ्तारी मेमो से स्पष्ट है। याची को न तो गिरफ्तारी के समय और न ही विद्वान रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने से पहले गिरफ्तारी के लिखित आधार प्रदान किए गए, जिससे गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड दूषित हो गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 'मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2356' में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया है कि सभी अपराधों में गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में सूचित करना अनिवार्य है और इसका अनुपालन न करना गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बना देता है। उन्होंने इस न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 35/2026, 'उमंग रस्तोगी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व तीन अन्य' के मामले में पारित निर्णय और आदेश पर भी भरोसा किया है। अंत में यह इंगित किया गया है कि रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 08.02.2026 का रिमांड आदेश मुद्रित प्रोफार्मा पर पारित किया गया है।
5. राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने याची के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया, परंतु उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा "गिरफ्तारी के आधार" की एक फोटोस्टेट प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अपूर्ण है।
6. उपरोक्त तर्कों और याची के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णयों पर विचार करने के बाद, हमारी यह राय है कि याची की गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेश दिनांक 08.02.2026 अवैध हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'गौतम नवलखा बनाम एन.आई.ए., (2022) 13 एससीसी 542' में यह माना है कि जहाँ रिमांड पूरी तरह से अवैध हो या यांत्रिक रूप से पारित किया गया हो, वहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट विचारणीय है।
7. प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा तैयार किया गया उक्त गिरफ्तारी मेमो और दिनांक 08.02.2026 का रिमांड आदेश एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।
8. उपरोक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका स्वीकार की जाती है।
9. याची को इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।
10. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि सामान्य शुल्क के भुगतान पर याची को इस आदेश की प्रमाणित प्रति जारी की जाए।
11. इस न्यायालय के 'उमंग रस्तोगी (उपरोक्त)' वाले निर्णय को ध्यान में रखते हुए, पुलिस आयुक्त, जिला कानपुर नगर (प्रत्यर्थी संख्या 2) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले के विवेचक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करें और 30.03.2026 को या उससे पहले इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (अनुपालन) के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसे रिकॉर्ड पर रखा जाए।
12. रिमांड मजिस्ट्रेट को भविष्य में रिमांड आदेश पारित करते समय सतर्क रहने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



13. इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे 24 घंटे के भीतर इस आदेश को संबंधित पुलिस अधिकारी, उक्त रिमांड मजिस्ट्रेट और जिला जज, कानपुर नगर को सूचित करें।
14. प्रत्यर्थागण याची के विरुद्ध कानून के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(जय कृष्ण उपाध्याय, न्यायमूर्ति) (सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति)

मार्च 19, 2026

रुचि अग्रहरी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"